न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (**RAS**)

राजस्व वाद संख्या : 145/2022 **GCMS 2022/290**

वादी

1. खेमाराम पुत्र कानाराम जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष
2. दीपाराम पुत्र कानाराम जाति गुर्जर उम्र 20 वर्ष
3. राजूराम पुत्र कानाराम जाति गुर्जर उम्र 35 वर्ष
4. सूरजमल पुत्र कानाराम जाति गुर्जर उम्र 40 वर्ष
5. ग्यारसी देवी पत्नी कानाराम जाति गुर्जर उम्र 52 वर्ष
6. गोगाराम पुत्र स्व. हीराराम जाति गुर्जर उम्र 32 वर्ष
7. भंवरलाल पुत्र स्व. लादूराम जाति गुर्जर उम्र 42 वर्ष
8. श्योजीराम पुत्र स्व. लादूराम जाति गुर्जर उम्र 34 वर्ष

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)।

दावा– बाबत अधिकारो की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89 R.T.Act 1955 सपठित धारा 131 R.L.R.Act 1956

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 8/9/2022

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार से है कि कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 515 रकबा 1.78 हैक्टर वादीगण के पैतृक खातेदारी की अवस्थित रही, उक्त भूमि पर सहखातेदारान अपने हक–हिस्से अनुसार काबिज रहे, कस्बा कुचामनसिटी में किशनगढ़–हनुमानगढ़ की बाईपास मेगा हाईवे सड़क खसरा नम्बर 515 में से निकली तब उक्त खसरा नम्बर 515 का बंटवारा किया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 3252 दर्ज किया गया, बंटवारा के उपरांत खसरा नम्बर 515 के नवीन खसरा नम्बर 3060/515 रकबा 0.3520 हैक्टर, खसरा नम्बर 3062/515 रकबा 0.4920 हैक्टर, खसरा नरम्बर 3065/515 रकबा 0.1853 हैक्टर, खसरा नम्बर 3067/515 रकबा 0.1853 हैक्टर, खसरा नम्बर 3066/515 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 515 रकबा 0.51 हैक्टर कायम हुए मूल खसरा नम्बर 515 के खातेदार नारायणराम मोतीराम पि. सांवता की कब्जा काश्त वादीगण के हक हिस्से से पश्चिमी दिशा में आई हुई थी इसलिए नारायणराम पुत्र सांवता के हिस्से में बंटवारे के उपरांत खसरा नम्बर 360/515 रकबा 0.3520 हैक्टर व मोतीराम पुत्र सांवताराम के हिस्से में बंटवारे के उपरांत खसरा नम्बर 3062/515 रकबा 0.4920 हैक्टर आया, चूँकि मूल खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

515 मे से कुचामन बाईपास रोड़ निकली जिसमें खसरा नम्बर 515 में से 0.51 हैक्टर भूमि अवाप्त की गई, यह 0.51 हैक्टर भूमि हीराराम, कानाराम, लादूराम पि. सांवता के हिस्से में से अवाप्त की गई एवं मुआवजा भी इन तीनों व्यक्तियों को ही दिया गया, इस प्रकार मोतीराम व नारायणराम पि. सांवताराम का हिस्सा सड़क बाईपास रोड़ से वादी के हिस्सों के पश्चिम दिशा में रहा इसलिए वाद में नारायणराम मोतीराम पि. सांवता के हक–हिस्से के संबंध में कोई विवाद नही होने से उन्हे पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया क्योंकि उनकी भूमि का कोई हिस्सा सड़क में अवाप्त नही किया गया, कुचामनसिटी में मेगाा हाईवे किशनगढ़ से हनुमानगढ़ का बाईपास निकाला गया जिसमें खसरा नम्बर 515 में से 0.51 हैक्टर भूमि अवाप्त कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम खसरा नम्बर 515 रकबा 0.51 हैक्टर किये गय एवं हीराराम पुत्र सांवता के हिस्से में खसरा नम्बर 3064/515 कानाराम पुत्र सांवता के हिस्से में खसरा नम्बर 3065/515 लादूराम पुत्र सांवता के हिस्से में खसरा नम्बर 3067/515 रखा गया, राजस्व नक्शे में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्त की गई भूमि का खसरा नम्बर 515 तरमीम कर दिया, वादीगण के मूल खसरा नम्बर 515 मे से 0.0310 हैक्टर भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क खसरा नम्बर 515 रकबा 0.51 हैक्टर के पूर्व दिशा में कुचामनसिटी की तरफ शेष रही जो नक्शे में स्पष्ट दिखाई देती है, परन्तु राजस्व अधिकारियों ने वादीगण की इस बची हुई 0.0161 हैक्टर भूमि को कोई नम्बर नक्शें में अंकित नही किया गया जो मात्र एक लिपिकीय त्रुटि है, वाद के संलग्न नक्शे में उक्त स्थान मार्क "A" "B" "C" से दर्शाया गया है, वाद पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट "क" है जो वाद पत्र का अभिन्न अंग है, राजस्व नक्शे के डायग्राम में खसरा नम्बर 3065/515 का रकबा 0.1853 हेक्टर नही होकर 0.1692 हैक्टर है जबकि खतौनी में खसरा नम्बर 3065/515 का रकबा 0.1853 हैक्टर अंकित किया गया है जो एक लिपिकीय त्रुटि है, खसरा नम्बर 515 रकबा 0.51 हैक्टर के पूर्व दिशा में स्थित कुचामन की तरफ गत खसरा नम्बर 515 रकबा 1.78 हैक्टर की 0.01612 हैक्टर भूमि वादीगण के कब्जा काश्त में है परन्तु इस डायग्राम में राजस्व नक्शें में कोई नम्बर अंकित नही होने के कारण वादीगण को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, परन्तुत इस डायग्राम में राजस्व नक्शें में कोई नम्बर अंकित नही होने के कारण वादीगण को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, बिनाय दावा राजस्व नक्शें में गलत अंकन होने एसं इसका ज्ञान दिनॉक 11.7.2022 को वादीगण को होने व राजस्व रेकार्ड की नकलात प्राप्त करने पर बमुकाम कुचामनसिटी पैदा हुआ, वादीगण की इस्तदुआ है कि वाद पत्र के संलग्नर परिशिष्ट " क " में दर्शित मार्क "A" "B" "C" भाग 0.0161 हैक्टर वादीगण की खातेदारी का कस्बा कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 515 रकबा 1.78 हैक्टर का भाग है जो वीदगण की खातेदारी का है तथा राजस्व नक्शें के डायग्राम में खसरा नम्बर अंकित किये जाने के आदेश फरमावें एवं यह

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

भी घोषित फरमाया जावें कि खसरा नम्बर 3065/515 का रकबा 0.1692 हैक्टर तथा परिशिष्ट " क " में दर्शित मार्क "A" "B" "C" भाग 0.0161 हैक्टर भूमि वादी सं. 1 ता 5 का 1/3 हिस्सा व वादी सं. 6 का 1/3 हिस्सा एवं वादी सं. 7 व 8 के 1/3 हिस्से की खातेदारी की है, अन्य कोई दादरसी जो मुफीद वादीगण हो अता फरमावें एक तहरीर माफिक आदेश प्रतिवादी के नाम जारी फरमाई जावें कि माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद फरमावें।

वाद दर्ज रजिस्टर क प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दौराने सुनवाई वादीगण ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत ओदश 26 नियम 9 सी.पी. सी. का प्रस्तुत कर मौका कमिश्नर नियुक्त कर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगाये जाने का प्रस्तुत किया गया, प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई कर निरीक्षक भू–अभिलेख कुचामनसिटी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका वस्तु स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2022/260 दिनॉक 24.08.2022 को निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में निरीक्षक भू.अ.कुचामनसिटी द्वारा पटवारी हल्का कुचामनसिटी के साथ संयुक्त रूप से मौका रिपोर्ट दिनॉक 02.09.2022 को तैयार कर इस न्यायालय में दिनॉक 07.09..2022 को प्रस्तुत की गई, जो शामिल मिसल उपलब्ध है।

दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी नकल सम्वत 2062–2065, चालू जमाबंदी नकल, नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत की है।

उभय पक्ष वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई, वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, जमांबदी नकल सम्वत 2062–2065 अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 511, 512, 513, 514, 515, 516 कुल रकबा 2.80 हैक्टर में लादूराम हीराराम मोतीराम कानाराम नारायण पि. सांवता कौम गुर्जर सा. देह खातेदार नामा.सं. 3252 दि. 21.03.09 के द्वारा बंटवारा आदेश से खाता विभाजन हुआ (1)नारायणराम पुत्र सांवता जाति गुर्जर सा. देह खातेदार खसरा नम्बर 3060/515 रकबा 0.3520 हैक्टर खसरा नम्बर 3061/516 रकबा 0.1800 हैक्टर कुल रकबा 0. 5320 हैक्टर (2) मोतीराम पुत्र सांवता जाति गुर्जर सा. देह खातेदार ख.नं. 3062/515 रकबा 0.4920 हैक्टर, ख.नं. 516 रकबा 0.0400 हैक्टर कुल रकबा 0.5320 हैक्टर (3) हीराराम पुत्र सांवता जाति गुर्जर सा. देह खातेदार खसरा नम्बर 3063/512 रकबा 0.1400 हैक्टर, खसरा नम्बर 3064/515 रकबा 0.0453 हैक्टर कुल रकबा 0.1853 हैक्टर, (4) कानाराम पुत्र सांवता जाति गुर्जर सा. देह खातेदार खसरा नम्बर 3065/515 रकबा 0.1853 हैक्टर (5) लादूराम हीराराम मोतीराम कानाराम नारायण पि. सांवता जाति गुर्जर सा. देह खातेदार ख.नं. 513 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 514

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 3066/515 रकबा 0.01 हैक्टर कुल रकबा 0.14 हैक्टर (7) सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD खसरा नम्बर 511 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 512 रकबा 0.52 हैक्टर खसरा नम्बर 515 रकबा 0.51 हैक्टर कुल रकबा 1.04 हैक्टर नामा. सं. 4407 दि. 5.3.13 बेचान से मोतीराम पुत्र सांवता जाति गुर्जर द्वारा खसरा नम्बर 3062/515 में से बेचान करने पर 0.1618 हैक्टर में भंवरलाल पुत्र लादूराम गुर्जर सा. देह खातेदार दर्ज किय गया, नामा. सं. 4406 दि. 2.4.2013 विरासत व हक त्याग से खसरा नम्बर 3067/515 में लादूराम पुत्र सांवता गूर्जर के स्थान पर भंवरलाल श्योजीराम पि. लादूराम गुर्जर सा. देह का नाम दर्ज किया तथा विरासत से खसरा नम्बर 513, 514, 3066/515 में लादूराम पुत्र सांवता गुर्जर के स्थान पर नाथीदेवी पत्नी लादूराम भंवरलाल श्योजीराम पि. लादूराम धन्नीदेवी पार्वती देवी पुत्रिया लादूराम गुर्जर का नाम दर्ज किया गया। जमाबंदी नकल सम्वत 2074–2077 कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3065/515 रकबा 0.1853 हैक्टर में खेमाराम पुत्र कानाराम हिस्सा 3/14, ग्यारसीदेवी पत्नी कानाराम 1/7 हिस्सा, दीपाराम पुत्र कानाराम हिस्सा 3/14, राजूराम पुत्र कानाराम हिस्सा 3/14, सूरजमल पुत्र कानाराम हिस्सा 3/14,जाति गुर्जर सा. देह खातेदार दर्ज है, निरीक्षक भू. अ. कुचामनसिटी एवं पटवारी हल्का कुचामनसिटी की संयुक्त मौका रिपोर्ट 02.09.2022 अनुसार कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 515 का रकबा 1.78 हैक्टर था, सहखातेदारान द्वारा विभाजन कराये व भूमि अवाप्ति (मेगा हाईवे) से नये खसरा नम्बर 3060/515, 3062/515, 3064/515, 3065/515, 3066/515, 3067/515 व 515 कायम हुये, वाद में वर्णित खसरा नम्बर 3065/515 रकबा 0.1853 हैक्टर की खातेदारी खेमाराम राजूराम सूरजमल पि. कानाराम ग्यारसीदेवी पत्नी कानाराम जाति गुर्जर के नाम दर्ज की गई, मौका स्थिति नजरी नक्शा अनुसार कुचामन के खसरा नम्बर 514 गै.मु.कुआ को मुस्तकिल बिन्दू मानते हुए खसरा नम्बर 3065/515, खसरा नम्बर 515 व 552 की सीमाओं का माप–चौक प्रार्थी द्वारा पेश मोमियॉ–शीट जारी द्वारा तहसीलदार नागौर जारी दिनॉक 26.10.2017 से किया गया, माप–चौक व मौका स्थिति अनुसार मेगा हाईवे व खसरा नम्बर 552 के मध्य आकृति A पर 0.0161 हैक्टर भूमि मूल खसरा नम्बर 515 की बनती है, जिसकी उत्तरी भुजा 12 मीटर पश्चिमी भुजा 37 मीटर व पूर्वी भुजा 30 मीटर ह, बिन्दू संख्या B पर खसरा नम्बर 552 (गै.मु.शमशान) में जाने हेतु पक्का गेट (लोहे का) बना हुआ है, बिन्दू सं. C से D पर पक्की चार दिवारी बनी हुई है वादीगण खसरा नम्बर 3065/515 रकबा 0.0161 हैक्टर कम करवाकर आकृति A में अपनी खातेदारी दर्ज करवाकर रिकार्ड दुरूस्त करवाना चाहते है, माप–चौक, मौका स्थिति व नक्शा लठ्ठा अनुसार खसरा नम्बर 3065/515 का रकबा 0.1692 हैक्टर व आकृति A का रकबा 0.0161 हैक्टर कुल रकबा 0.1853 हैक्टर की खातेदारी कानाराम के वारिसान खेमाराम वगैरह के नाम नियमानुसार शुद्व किया जाना उचित है। प्रकरण के

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अवलोकन से स्पष्ट है कि नजरी नक्शे में पूर्वी तरफ नक्शे में खसरा नम्बर खाली बताया गया है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनॉक 02.09.2022 अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 510 के पास दक्षिणी पश्चिमी कोण में आकृति में खसरा नम्बर अंकित नही है। रिपोर्ट निरीक्षक भू.अ.कुचामनसिटी एवं पटवारी हल्का कुचामनसिटी की संयुक्त मौका रिपोर्ट 02.09.2022 अनुसार खसरा नम्बर 3065/515 का रकबा भी 0.1692 हैक्टर नाप चौक करने पर बताया गया है जबकि जमाबंदी में खसरा नम्बर 3065/515 का रकबा 0.1853 हैक्टर अंकित है, अतः खसरा नम्बर 3065/515 का रकबा 0.1853 हैक्टर के स्थान पर 0.1692 हैक्टर किये जाने तथा शेष रकबा 0.0161 हैक्टर उपरोक्त नक्शा ट्रेस में अंकित स्थान पर दर्ज किये जाने तथा नये खसरा नम्बर अंकित किये जाने के पुष्टि स्पष्ट रूप से साबित होती है, मौका रिर्पोट दिनॉक 02.09.2022 में मौका कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है कि खसरा नम्बर 3065/515 का रकबा मौके पर 0.1692 हैक्टर ही है पूर्वी तरफ में 0.0161 हैक्टर भूमि है जिसमें खसरा नम्बर अंकित नही है। अतः वाद उपलब्ध रेकार्ड मौका रिपोर्ट 02.09.2022 एवं जमाबंदी एवं प्रस्तुत नक्शा ट्रेस नकल 17.05.2022 अनुसार साबित होने से डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण डिक्री कर घोषणा की जाती है कि प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3065/515 रकबा 0.1853 हैक्टर के स्थान पर खसरा नम्बर 3065/515 रकबा 0.1692 हैक्टर खातेदार खेमाराम पुत्र कानाराम हिस्सा 3/14, ग्यारसी पत्नी कानाराम 1/7 हिस्सा, दीपाराम पुत्र कानाराम 3/14 हिस्सा, राजूराम पुत्र कानाराम 3/14 हिस्सा, सूरजमल पुत्र कानाराम 3/14 हिस्सा जाति गुर्जर सा. देह की खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा शेष रकबा 0.0161 हैक्टर नक्शा ट्रेस में रिक्त स्थान पर नये खसरा नम्बर अंकित कर वादी सं. 1 ता 5 का 1/3 हिस्सा, वादी सं. 6 का 1/3 हिस्सा, वादी सं. 7 से 8 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट " क " एवं मौका रिपोर्ट दिनॉक 02.09.2022 डिक्री का भाग रहेगी। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट शीघ्र इस न्यायालय में प्रस्तुत करे, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें।

आदेश आज दिनॉक 08/09/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 145/2022 **GCMS 2022/290**

वादी

1. खेमाराम पुत्र कानाराम जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष
2. दीपाराम पुत्र कानाराम जाति गुर्जर उम्र 20 वर्ष
3. राजूराम पुत्र कानाराम जाति गुर्जर उम्र 35 वर्ष
4. सूरजमल पुत्र कानाराम जाति गुर्जर उम्र 40 वर्ष
5. ग्यारसी देवी पत्नी कानाराम जाति गुर्जर उम्र 52 वर्ष
6. गोगाराम पुत्र स्व. हीराराम जाति गुर्जर उम्र 32 वर्ष
7. भंवरलाल पुत्र स्व. लादूराम जाति गुर्जर उम्र 42 वर्ष
8. श्योजीराम पुत्र स्व. लादूराम जाति गुर्जर उम्र 34 वर्ष

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)।

दावा– बाबत अधिकारो की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89 R.T.Act 1955 सपठित धारा 131 R.L.R.Act 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद वादीगण डिक्री कर घोषणा की जाती है कि प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3065/515 रकबा 0.1853 हैक्टर के स्थान पर खसरा नम्बर 3065/515 रकबा 0.1692 हैक्टर खातेदार खेमाराम पुत्र कानाराम हिस्सा 3/14, ग्यारसी पत्नी कानाराम 1/7 हिस्सा, दीपाराम पुत्र कानाराम 3/14 हिस्सा, राजूराम पुत्र कानाराम 3/14 हिस्सा, सूरजमल पुत्र कानाराम 3/14 हिस्सा जाति गुर्जर सा. देह की खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा शेष रकबा 0.0161 हैक्टर नक्शा ट्रेस में रिक्त स्थान पर नये खसरा नम्बर अंकित कर वादी सं. 1 ता 5 का 1/3 हिस्सा, वादी सं. 6 का 1/3 हिस्सा, वादी सं. 7 से 8 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** वादीगण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट " क " एवं मौका रिपोर्ट दिनॉक 02.09.2022 डिक्री का भाग रहेगी। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट शीघ्र इस न्यायालय में प्रस्तुत करे, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें।

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 08 माह 09 सन् 2022 को जारी की गई।

(मुहर) (उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर))

दस्तखत................

ओहदा उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक / राजस्व / 2022 / 264 दिनॉकः— 9.9.2022

प्रेषित :— तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :— राजस्व प्रकरण वाद सं. 145 / 2022 **GCMS 2022/290** खेमाराम बनाम राज. सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार कुचामनसिटी वगैरह में पारित डिक्री आदेश की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय राजस्व प्रकरण वाद सं. 145 / 2022 **GCMS 2022/290** खेमाराम बनाम राज. सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार कुचामनसिटी वगैरह में पारित डिक्री आदेश की पालना हेतु प्रति भिजवाई जा रही है, राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सलंग्नः—उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

सेवा में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय :- कस्बा कु.सिटी के ख.नं. 515 की मौका वस्तु स्थिति रिपोर्ट बाबत् ।

प्रसंग :- श्रीमान्जी के पत्रांक/कोर्ट/2020/260 दि. 24.8.2022

महोदयजी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके आदेश की पालना में कस्बा कुचामनसिटी के ख०नं० 515 (मूल) की मौका वस्तु स्थिति रिपोर्ट संलग्न मौका फर्द अनुसार - श्रीमान्जी की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर पेश है।

संलग्न :-
1. मौका फर्द

भवदीय

06/09/2022
ILR कु.सि.

मौका फर्द

आज दिनांक 02/09/2022 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक/कोर्ट/2022/260 दि. 24 8/2022 की पालना में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी के राजस्व वाद सं. 145/2022 GCMS No. 2022/290 खेमाराम पुत्र कालाराम गुर्जर बनाम राज. सरकार में मौका वस्तु स्थिति जांच बाबत् भू०अ० कुचामनसिटी के साथ मौके पर पहुंचा। मौके पर पक्षकारान उपस्थित मिले। रूबरू पक्षकारान मौका स्थिति व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। कस्बा कु. सिटी के मूल ख.नं. 515 का रकबा 1.78 है० था। सहखातेदारान द्वारा करवाये विभाजन व भूमि आवंटित (मेगा हाईवे बाबत्) से नये ख.नं. 3060/515, 3062/515, 3064/515, 3065/515, 3066/515, 3067/515 व 515 कायम हुए। वाद में वर्णित ख.नं. 3065/515 रकबा 0.1853 है० की खातेदारी खेमाराम, श्रीपाराम, राजूराम, सूरजमल पि० कालाराम ज्यारसीदेवी पत्नि कालाराम जाति गुर्जर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मौका स्थिति निम्न नजरी नक्शानुसार है:-

उपरोक्त नजरी नक्शानुसार कस्बा कुचामनसिटी के ख.नं. 514 दी.मु. कुआं को मुस्तकिल बिन्दु मानते हुए, ख.नं. 3065/515, ख.नं. 515 व ख.नं. 552 की सीमाओं का माप-जोख प्रार्थी द्वारा पेश मोमिया-

—— लगातार —

- मौके जारी द्वारा श्रीमान तहसीलदार सा. जालोर (जारी दिनांक 26.10.2017) से किया गया। माप-चौक व मौका स्थिति अनुसार मेगा हाईवे व ख.नं. 552 के मध्य आकृति A पर 0.0161 है मूल भूमि ख.नं. 515 की बनती है, जिसकी उत्तरी भुजा 12 मीटर, पश्चिमी भुजा 37 मीटर व पूर्वी भुजा 30 मीटर है, बिन्दु संख्या B पर ख.नं. 552 (गै.मु. श्मशान) में जाने हेतु पक्का गेट (लोहे का) बना हुआ है, बिन्दु सं. C से D पर पक्की चार दिवारी बनी हुई है। काश्तगण ख.नं. 3065/515 रकबा 0.1853 है० में से आकृति A की भूमि रकबा 0.0161 है० कम करवा कर आकृति A में अपनी खातेदारी दर्ज करवाकर रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना चाहते है। माप-चौक, मौका स्थिति व नक्शा ट्रेस अनुसार ख.नं. 3065/515 का रकबा 0.1692 है० व आकृति A का रकबा 0.0161 है० कुल रकबा 0.1853 है० की खातेदारी कानाराम के वारिसान खेमाराम वगैरह के नाम नियमानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। उपस्थित के समक्ष मौका फर्द तैयार कर पढ़कर सुनाई गई, उपस्थित ने पढ़कर, सुनकर, समझकर हस्ताक्षर किये।

1. गंगाराम / हीरालाल माली 9413718542 — गंगाराम
2. भंवरलाल / नाहरराम " 9828454121 — भवरलाल
3. सूरजमल / कानाराम " 9413666882 — सुरजमल
4. ओमकार / भोमाराम " 9587590053 — ओंकार
5. रामेश्वर / बाबूलाल " 9602068349 — रामेश्वर
6. भुताराम / खेतराम माली 7891308690 — [illegible]
7. सोनाराम / नारायणराम माली 9982336619 — सोनाराम
8. नेमाराम / मोहनलाल मेघवाल 9521346032 — नेमाराम
9. मुन्नाराम / मोहनराम माली 9468724675 — (अंगूठा निशानी)
10. नरपतसिंह / कानसिंह राजपूत 7568920558 — नरपतसिंह

आ.नि. मुन्नाराम

[हस्ताक्षर] भू.अ. कर्मचारी — लगातार —

P.T.O.

— [illegible] - 3

11. हनुमान / प्रेमदास गायकवाड 9822400620 हणमान

12. राकेश / रामचंद्र नायक ~~7874~~ 7976506055 [signature]

[signature] 02/9/2022 HR [illegible]

[signature] 02/9/2022 [illegible]